संख्या– /XX–4/2021–01(74)/2007

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 31 मई, 2021

विषय– **कारागार विभाग में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता (NPA) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1707/08/80/कारा0 चिकित्सक/ 2007, दिनांक 07–01–2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से कारागार विभाग में तैनात चिकित्सकों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता (NPA) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि वित्त(वे0आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–26/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–148/XXVII(7)/19-50(14)/2017 दिनांक 27 मई, 2019 (छायाप्रतियां संलग्न) में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत नियमित एलोपैथिक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का 20% प्रैक्टिस बंदी भत्ता (NPA) अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था उपबन्धित है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऐसे नियमित एलोपैथिक चिकित्सक, जो कारागार विभाग में तैनात है और वित्त विभाग के उक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञापों में उपबंधित शर्तो का पालन कर रहे हों तो उन्हें भी चिकित्सा विभाग के नियमित एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति प्रैक्टिस बंदी भत्ता (NPA) अनुमन्य किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–245/xxvii(7)/2021 दिनांकः 24–05–2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 66 /XX–4/2021–01(74)/2007,तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव।